

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक 31/12/2020

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या— 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ' में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण / 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	542.080

कुल आवंटित राशि —

रुपये पाँच करोड़ बेयालीस लाख आठ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध रु. 11065.06 लाख (एक सौ दस करोड़ पैंसठ लाख छ: हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 159

रॉची, दिनांक :-

  
31/12/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो० - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/दुमका/चाईबासा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/कोडरमा/खूंटी/रामगढ़/गुमला/चतरा/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदग्गा/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 159

रॉची, दिनांक :-

  
31/12/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शीर्ष-01-देतन एवं नामों यात्रा व्याय	विस्तृत शीर्ष-02- शीर्ष-03-प्रशासनिक व्याय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्याय													
				वेतन	पूर्व का बकाया	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किसाया, दर, कर	आपूर्ति एवं समग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटायाडिया इंधन एवं समस्ति	विविध प्रभार	कुल योग	अनियुक्त	परिवार लाख रुपये में
क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	पूर्व का बकाया	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किसाया, दर, कर	आपूर्ति एवं समग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटायाडिया इंधन एवं समस्ति	विविध प्रभार	कुल योग	अनियुक्त	परिवार लाख रुपये में		
1	मुख्य अधिकारी लघु सिंचाई, रोकी	पूर्व का आवंटन 45,000	152,000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.100	0.400 0.600	0.000 0.000	0.000 0.400	0.100 0.300	0.000 0.000	0.150 5,000	0.000 1.300	0.700 0.300	103,250 205,800	1,500	103,250 205,800	
2	याज्ञा मानेतरिसा एवं आयाजन अवल-3,रोकी	कुल आवंटन 197,000	0.000	0.000	0.500	1,000	0.000	0.400	0.300	0.000	5,000	1.300	0.300	0.000	1,700	0.000	
3	लघु सिंचाई अवल-मेदीनगर	पूर्व का आवंटन 0.000	101,500	0.000	0.000	0.300	1,000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	1,200	109,950
4	लघु सिंचाई अवल-हजारीगांव	पूर्व का आवंटन 77,000	0.000	0.000	1,100	0.500	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	79,250	79,250
5	लघु सिंचाई प्रमदल-कोडरमा	कुल आवंटन 123,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.150	124,200	124,200
6	लघु सिंचाई प्रमदल-खेंटी	कुल आवंटन 15,000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.320	0.350	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.200	0.150	16,570	16,570
7	लघु सिंचाई प्रमदल-गुमला	पूर्व का आवंटन 5,400	138,000	0.000	0.000	0.500	0.450	0.320	0.350	0.050	0.000	0.050	0.000	0.750	0.300	140,770	140,770
8	लघु सिंचाई प्रमदल-चूरसा	कुल आवंटन 251,400	0.000	0.000	0.200	0.550	0.100	0.250	0.100	0.000	1,150	0.600	0.100	254,450	254,450	254,450	254,450
9	लघु सिंचाई प्रमदल- चाईवासा	पूर्व का आवंटन 33,480	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	158,800	158,800
10	लघु सिंचाई प्रमदल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 19,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.100	23,050	23,050
		कुल आवंटन	362,000	0.000	0.000	0.400	0.450	1,200	0.000	0.100	0.000	2,000	0.600	0.100	366,850	366,850	366,850

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभियोग)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अमि.)

क्र सं	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शोर्ट-01-जेतन एवं नते यात्रा व्यय	विस्तृत शोर्ट-02- शोर्ट-03-प्रशासनिक व्यय	विस्तृत शोर्ट-03-प्रशासनिक व्यय										विस्तृत शोर्ट-04- नोटराइडिंग	विस्तृत शोर्ट-07- नोटराइडिंग	उपर्युक्त में कुल योग	उपर्युक्त में अनियुक्त
				जेतन	पूर्व का बदला वर्तनादि	देवीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किसाया, दर,	अपुर्ते एवं सामग्री	दूसराए	वर्दी	विद्युत व्यय	नोटराइडिंग	विवि प्राप्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	लघु सिचाई प्रमङ्गल,	पूर्व का आवर्तन	196.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	196.800		
12	लघु सिचाई प्रमङ्गल-यावंटन	पूर्व का आवर्तन	196.000	0.000	0.050	0.600	0.450	2.160	0.200	0.050	0.000	0.000	0.400	0.300	3.760		
13	लघु सिचाई प्रमङ्गल-राँची	पूर्व का आवर्तन	462.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	462.800		
14	लघु सिचाई प्रमङ्गल-लातोहार	पूर्व का आवर्तन	16.830	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.700	0.600	0.100	18.930	
15	लघु सिचाई प्रमङ्गल-लोहडरगा	पूर्व का आवर्तन	134.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	134.800		
16	लघु सिचाई प्रमङ्गल-साहेबगंज	पूर्व का आवर्तन	15.420	0.000	0.000	0.250	0.200	0.200	0.100	0.000	0.200	0.000	0.600	0.200	17.170		
17	लघु सिचाई प्रमङ्गल-	पूर्व का आवर्तन	254.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	254.800		
18	लघु सिचाई प्रमङ्गल-राँची प्रमङ्गल-यावंटन	पूर्व का आवर्तन	170.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	255.600		
	अतिरिक्त आवर्तन	पूर्व का आवर्तन	52.000	0.000	0.000	0.400	0.200	0.150	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.200	53.650	
	लघु सिचाई प्रमङ्गल-यावंटन	पूर्व का आवर्तन	147.000	0.000	0.000	0.200	1.150	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.200	224.450		
	अतिरिक्त आवर्तन	पूर्व का आवर्तन	147.000	0.000	0.000	0.200	1.150	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	149.000		
	अतिरिक्त आवर्तन का योग	500.130	0.000	0.050	4.700	4.100	6.180	2.800	0.750	0.000	1.000	1.000	0.000	150.450			
	अतिरिक्त आवर्तन का योग	500.130	0.000	0.050	4.700	4.100	6.180	2.800	0.750	0.000	1.000	1.000	0.000	542.080			

नोट 1: वित्त विभाग के प्रांत 11/विविध-14/2010-39/बजट दि 04.02.13 के आलोक में विद्युत नद में दिनांक 31.03.2013 तक का बदला शून्य मानते हुए नये सिरे से विप्रतीकरण के आधार पर ही उगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवर्तित राशि-

लप्पे पाँच करोड़ बेयालीस लाख आठ हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (आमै)

(अरोक्त कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (आमै)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

159  
13/11/2020